निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 32/2018/रे0वाद/

निर्णय दिनांक :– 16.10.2019

अनवान

1. श्री मुकेश पिता भंवरलाल जी खटीक आयु बालिग निवासी खटीको का मौहल्ला तहसील देवगढ़ जिला राजमसन्द

——वादी

बनाम

1. राजु पिता कजोड जी सालवी आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. तुलसीराम पिता मांगु जी सालवी आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. मीना पुत्री मांगु सालवी आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक वली तुलसीराम पिता मांगु जी सालवी निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. टम्मु पिता मांगु जी सालवी आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक वली तुलसीराम पिता मांगु जी सालवी निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजमसन्द
5. रतनलाल पिता गोमा जी सालवी आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजमसन्द
6. तिलोक पिता गोमा जी सालवी आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. आसु पिता डालु जी सालवी आयु बालिग निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजमसन्द
8. मु0 इन्द्रा पिता केसु जी सालवी आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक मूलाराम पिता केसु जी सालवी निवासी धुकलखेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
10. श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द

——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला-राजसमन्द

उपस्थित :– 01. श्री शान्ति लाल जैन वकील वादी

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की शामलाती भूमि राजस्व ग्राम मदारिया तहसील देवगढ़ में स्थित हैं जिसके खाता नम्बर 255 के आराजी नम्बर 495 रकबा 0.13 विस्वा, आराजी नम्बर 496 रकबा 0.09 विस्वा, आराजी नम्बर 497 रकबा 0.18 विस्वा, आराजी नम्बर 498 शामिल नम्बर 500 रकबा 0.16 विस्वा, आराजी नम्बर 499 रकबा 0.03 विस्वा, आराजी नम्बर 501 रकबा 1.10 बीघा कुल किता 6 रकबा 4.00 बीघा हैं। तथा खाता नम्बर 256 के आराजी नम्बर 494 रकबा 0.16 विस्वा हैं। उक्त भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 का 1/12 हिस्सा हैं। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज कास्त हैं। उक्त वर्णित

भूमि का विधिवत बंटवाडा नहीं होने से वादी को भूमि रहन रखने, कृषि कार्य करने, ऋण लेने लगान जमा कराने एवं अन्य कार्यों में कठिनाई होती हैं। इसलिये वादी उकत सामलाती भूमि को माफिक दर्ज हिस्से रेकार्ड मिट्स एवं बाउण्ड्स के भूमि का बंटवाडा कराना चाहता हैं। मैं वादी अपने हिस्से की भूमि एवं आराजी चाह पर माफिक हिस्से जमाबंदी कास्त करता चला आ रहा हुं। मुझ वादी ने प्रतिवादीगण को भूमि का बंटवाडा करा खाता पृथक पृथक कायम कराने बाबत् कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण हरबार टालमटोल करते रहे और अन्त में कहा कि तम्हें खाता अलग करवाना हैं तो कानूनी कार्यवाही करो जिसपर यह बंटवाडे का वाद आपके न्यायालय में पेश किया गया हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी में से अच्छी व बूरी में से बूरी भूमि का बंटवाडा कराने एवं इसी आशय की डिक्री प्रदान कराने के आदेश प्रदान करावें साथ ही विभाजन के अनुसार राजस्व रेकार्ड में स्वतन्त्र अंकन करने के आदेश प्रदान कराये जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली हैं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को सम्मन तामील हो जाने पर भी उन्होंने कोई जवाब पेश नहीं किया। जिसपर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 ने जवाब में निवेदन किया हैं कि दावे अनुसार भूमि का बंटवाडा किया जावें तो सरकार कोई आपत्ति नहीं हैं। वकील वादी ने कोई शहादत पेश नहीं करनी चाही। वकील वादी ने प्रकरण में बहस की। विद्वान वकील वादी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम मदारिया तहसील देवगढ़ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का सामलाती भूमि स्थित हैं जिसके खाता नम्बर 255,256 कुल रकबा 6.04 बीघा एवं 0.01 विस्वा हैं। उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 सामलाती खाते की हैं। भूमि के सामलाती खाते की होने से वादी को भूमि रहन रखने, खेती करने, ऋण लेने, लगान जमा कराने एवं अन्य हर कार्य में वादी को परेशानी होती हैं। भूमि का बंटवाडा होकर वादी का खाता पृथक से कायम हो जाने पर वादी को इस परेशानी से मिल जाएगी तथा वादी उसकी भूमि पर शान्तिपूर्वक कास्त वगैरह कर सकेगा। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर भूमि का बंटवाडा कराने के आदेश प्रदान करावें।

हमने वादी के वादपत्र जवाब प्रतिवादी संख्या 9 शपथ पत्र वादी, नकल जमाबंदी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया। ग्राम मदारिया पटवार हल्का मदारिया तहसील देवगढ़ की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में वादी वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार हैं। कोई भी सहखातेदार उसकी सुविधा हेतु सामलाती भूमि का बंटवाडा करा उसका खाता पृथक से कायम करा सकता हैं।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम मदारिया पटवार हल्का मदारिया तहसील देवगढ़ की भूमि के खाता नम्बर 255 के आराजी नम्बर 495 रकबा 0.13 विस्वा, आराजी नम्बर 496 रकबा 0.09 विस्वा, आराजी नम्बर 497 रकबा 0.18 विस्वा, आराजी नम्बर 498 शामिल नम्बर 500 रकबा 0.16 विस्वा, आराजी नम्बर 499 रकबा 0.03 विस्वा, आराजी नम्बर 501

रकबा 1.10 बीघा कुल किता 6 रकबा 4.00 बीघा हैं। तथा खाता नम्बर 256 के आराजी नम्बर 494 रकबा 0.16 विस्वा भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी में से अच्छी एवं बूरी में से बूरी भूमि का बंटवाडा करने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें कि आदेशानुसार पक्षकारान की उपस्थिति में रास्ते की भूमि को छोडते हुऐ बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश करें। वादी वादग्रस्त भूमि के कुलिया लगान की 5 गुणा राशि के नॉन ज्यूडिशीयल स्टाम्प पेश करें तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली वास्ते प्राप्त करने बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 05.12.2019 को पेश हो ।

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द